**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2583**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा प्रापण में सामरिक भागीदारी नीति**

**2583. श्री भुवनेश्वर कालिता :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी रक्षा प्रापण प्रक्रियाओं के भाग के रूप में सामरिक भागीदारी नीति का अनावरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नीति आयातित रक्षा उपकरणों पर निर्भरता को कम करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या यह भागीदारी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देगी ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ड.) रक्षा क्षेत्र में सामरिक भागीदारी नीति को डीपीपी-2016 के अध्याय-VII के शीर्षक “सामरिक भागीदारी के ज़रिए रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकीय प्रणाली का पुनरुद्धार” के रूप में 31.05.2017 को प्रख़्यापित किया गया । इस अध्याय को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mod.nic.in> पर अपलोड किया गया । यह नीति, रक्षा प्लेटफार्मों और उपस्कर जैसे कि विमानों, पनडुब्बियों, हेलिकॉप्टरों और कवचित वाहनों के निर्माण में डीपीएसयू/ओएफबी के अलावा निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के एक पारदर्शी, उद्देश्यपरक और कार्यकारी तंत्र को संस्थागत बनाने से अभिप्रेरित है । इससे प्रतियोगिता में वृद्धि करने, कार्यकुशलता को बढ़ाने, प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से ग्रहण करने को कारगर बनाने, स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी सृजित करने, व्यापक कौशल आधार का विकास सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा मिलेगा । एसपी मार्ग के तहत अधिग्रहण हेतु निम्नलिखित चार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं:-

i) युद्धक विमान

ii) हेलिकॉप्टर

iii) पनडुब्बियां

iv) कवचित युद्धक वाहन (एएफवी)/मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी)

2. सामरिक परिप्रेक्ष्य में इससे राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को पूर्ण करने में आवश्यक आपूर्तियों की निर्भरता और सतत् रूप से वृहत् आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल के साथ रक्षा क्षेत्र से संबद्ध आयात पर वर्तमान निर्भरता को कम करने में सहायता मिलेगी ।

\*\*\*\*\*